समाहरणालय, मुंगेर
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)
(आई0सी0डी0एस0)

Mail:- dpo.icds.munger-bih@gov.in

समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर अनुवंध के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन सं0:– 01/2025–26

सभी संवंधितों को सूचित किया जाता है कि जिले में समेकित वाल विकास सेवाऐं अंतर्गत ऑगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर अनुवंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक–1846 दिनांक–10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक–5994 दिनांक–31.12.2018 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है।

सामान्य प्रसाशन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–14396, दिनांक–10.09.2024 के अनुपालन के आधार पर तैयार आदर्श आरक्षण रोस्टर आयुक्त मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–5362, दिनांक– 23.08.2025 के द्वारा स्वीकृति के उपरांत निर्गत आरक्षण के नियम का अक्षरशः पालन किया जायेगा। रिक्ति की विवरणी कोटिवार निम्न हैः–

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गो की महिला	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित वर्ग
02	01	03	01	01	02	06
					कुलः–	16 पद

नोटः– दिव्यांगता (अंध/निम्न दृष्टि दिव्यांगता) से ग्रस्त उम्मीदवार को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत 01 पद देय होगी।

ऑगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का लिंक http://125.16.175.140:88/vacanceylist.aspx पर दिनांक 13.9.25 से 03.10.25 तक अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेगें। आवेदन आनलाईन करने के पश्चात् निबंधित डाक से दिनांक 03.10.25 के संध्या 05.00 बजे तक आवेदन स्वीकार्य किये जायेंगें। नियोजन हेतु जिले में रिक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना एवं ऑनलाईन आवेदन किए जाने की प्रकिया (User Guideline) के रूप में भी मुंगेर जिले के अधिकारिक वेवसाईट https://munger.nic.in/notice_category/recruitment/ पर प्रदर्शित किया जाएगा एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय आई0सी0डी0एस0, समाहरणालय, मुंगेर के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

अनिवार्य अर्हताएँ/सूचनाएँ

- आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक योगयता मैट्रिक उतीर्ण या समकक्ष होगें।
- आवेदिका विज्ञापन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किये होना चाहिए अर्थात–01.01.2025 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए।
- आवेदिका मुंगेर जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

- आवेदिका रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सही–सही ऑनलाईन आवेदन विज्ञापन प्रकाशन के अगले 21 दिनों तक कर सकते है। आवेदिका अपने पूर्णतः भरे हुए आवेदन को प्रिंट आउट निकाल कर अवश्य रखेगें।
- चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट के साथ सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सभी अंक पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगें। वांछित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा आवेदन देने की निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर आदि परीक्षा के उत्तीर्णता संबंधि प्रमाण पत्र, अंक पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियों तथा इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगें।
- अनुभव प्रमाण पत्र– अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिससे यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षो तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है।
- ऑगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जाएगा।
- आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार जिला चयन समिति, मुंगेर के पास सुरक्षित रहेगा।

उम्र :– चयन वर्ष की पहली जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी।

शारीरिक स्वस्थता:– अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य होना अनिवार्य है, ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में किसी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़े। मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थ्यता/विकलांगता का निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन पर किया जाएगा न कि चयन समिति के विवेक पर। अंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति/योगदान सहायक सिविल सर्जन के स्तर के पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थापन के पश्चात् ही की जायेगी।

ऑगनबाड़ी सेविका से नियुक्ति :–

प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात् सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1–1 अंक दिये जायेगें। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त ऑगनबाड़ी सेविका को क्रमशः 10 एवं 05 अंक अतिरिक्त दिये जायेगें।

शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा (इण्टर / स्नातक / स्नातकोतर) में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग–अलग क्रमशः 10 बोनस अंक, 05 बोनस अंक या 03 बोनस अंक अतिरिक्त दिये जायेगें।

उपरोक्त आधार से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदो के आलोक में सर्वाधिक मेघा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगी । यदि दो सेविकाओं को समान मेघा अंक प्राप्त होते है तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।

सेविकाओं हेतु रोस्टर के अनुरुप रिक्तियॉ :

नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक–26.02.2019 के अनुसार जिला स्तर पर संधारित आरक्षण रोस्टर प्रभावी होगा एवं सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–16760 / 2023 गौरव कुमार एवं अन्य वनाम बिहार सरकार राज्य एवं अन्य तथा संबंध सभी मामलों में दिनांक–20.06.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुये बिहार आरक्षण अधिनियम 18, 2023 तथा बिहार आरक्षण अधिनियम 19, 2023 को Set aside कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP(C) No-014086/2024, 014425/24, 014096/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024, 014430/2024 दायर किया गया है जिसमे पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर नियोजन प्रक्रिया की जा रही है।

"विभागीय संकल्प संख्या–1846 दिनांक–10.06.2010 एवं संशोधित पत्रांक–5994 दिनांक–31.12.2018 एवं समय–समय पर सरकार / विभाग से निर्गत पत्र/परिपत्र के आलोक में निहित अन्य अनुदेशों का पालन नियोजन हेतु किया जायेगा।"

"विज्ञापन एवं सेवा–शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी मुंगेर के अधीन है। जिला पदाधिकारी, मुंगेर विज्ञापन को संशोधित /रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।"

10/9/24

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।